फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखे)

वित्तीय वर्ष 2024-25

अनुदान संख्या व नाम : 43-परिवहन विभाग (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) **(राजस्व पक्ष)**	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग
1	2	3	4	5	6
3055 00 001 03 00 3055-सड़क परिवहन-00-001-निदेशन तथा प्रशासन -03-अधिष्ठान व्यय- 01-वेतन	14625.00	839.60	839.60	69.00	14556.00
3055 00 800 03 00 3055-सड़क परिवहन-00-800-अन्य व्यय-03-मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल					
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	130.00	50.00	50.00	00	130.00
29-अनुरक्षण	200.00	100.00	100.00	00	200.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	200.00	117.00	117.00	116.00	84.00
योग-	**15155.00**	**1106.60**	**1106.60**	**185.00**	**14970.00**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) **(राजस्व पक्ष)** अनुदान संख्या-43	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में कुल प्रत्याशित व्यय	संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
3055 00 001 03 00 3055-सड़क परिवहन-00-001-निदेशन तथा प्रशासन 03-अधिष्ठान व्यय					

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

08-कार्यालय व्यय	1000.00	1766.60	766.60	00	1000.00
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	12.00	20.00	8.00	4.00	16.00
29-अनुरक्षण	10.00	15.00	5.00	5.00	15.00
49-चिकित्सा व्यय	200.00	260.00	60.00	60.00	260.00
3055 00 800 03 00 3055-सड़क परिवहन-00-800-अन्य व्यय-03-मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल					
06-अन्य भत्ते	104.00	225.00	121.00	50.00	154.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	510.00	640.00	130.00	50.00	560.00
49-चिकित्सा व्यय	34.00	50.00	16.00	16.00	50.00
योग -	**1870.00**	**2976.60**	**1106.60**	**185.00**	**2055.00**

(1) बचत के कारण निम्नानुसार है :-

(क) परिवहन अधिष्ठान:- मद संख्या 01-वेतन में बचत कतिपय कार्मिकों के सेवानिवृत्त होने व कार्मिकों की भर्ती न हो पाने के कारण।

(ख) अधिकरण अधिष्ठान :- मद संख्या-12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण में बचत कतिपय जनपदों के अधिकरणों का जनपद न्यायालय में शिफ्ट हो जाने तथा अपेक्षित बजट मांग अप्राप्त होने के कारण।

मद संख्या 29-अनुरक्षण में बचत कतिपय जनपदों के अधिकरणों का जनपद न्यायालय में शिफ्ट हो जाने तथा अपेक्षित मरम्मत सम्बन्धी प्रस्ताव अप्राप्त होने के कारण।

46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय में बचत प्रदेश के समस्त अधिकरणों को पूर्णत: कम्प्यूटराइज्ड किये जाने की योजना आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होना सम्भावित होने के कारण।

(2) व्यायाधिक्य के कारण निम्नानुसार हैं :-

(क) परिवहन अधिष्ठान:- परिवहन आयुक्त कार्यालय के पत्र दिनांक 10.11.2023 द्वारा प्रेषित आय-व्ययक अनुमान 2024-25 के प्रस्ताव में मद संख्या-08-कार्यालय व्यय, 19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय, 29-अनुरक्षण तथा 49-चिकित्सा व्यय मदों में प्रस्तावित धनराशि का बजट प्राविधान किन्हीं कारणोंवश स्वीकृत न हो पाने के कारण तथा चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु परिवहन आयुक्त कार्यालय के पत्र दिनांक 22-07-2024 द्वारा प्रेषित प्रथम अनुपूरक बजट के प्रस्ताव में व परिवहन आयुक्त कार्यालय के पत्र दिनांक 09-12-2024 द्वारा प्रेषित द्वितीय अनुपूरक बजट के प्रस्ताव के मद संख्या-08-कार्यालय व्यय तथा 49-चिकित्सा व्यय में प्रस्तावित धनराशि का बजट किन्हीं कारणोंवश अस्वीकृत होने के कारण।

(ख)- अधिकरण अधिष्ठान :- परिवहन आयुक्त कार्यालय के पत्र दिनांक 10.11.2023 द्वारा प्रेषित आय-व्ययक अनुमान 2024-25 के प्रस्ताव में मद संख्या-06-अन्य भत्ते, 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद तथा 49-चिकित्सा व्यय मदों में प्रस्तावित धनराशि का बजट प्राविधान किन्हीं कारणोंवश स्वीकृत न हो पाने के कारण तथा चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु परिवहन आयुक्त कार्यालय के पत्र दिनांक 22-07-2024 द्वारा प्रेषित प्रथम अनुपूरक बजट के प्रस्ताव में मद संख्या 06-अन्य भत्ते में रू0 165.00 लाख के सापेक्ष रू0 44.00 लाख, 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद में रू0 225.00 लाख के सापेक्ष रू0 60.00 लाख तथा 49-चिकित्सा व्यय में रू0 55.00 लाख के सापेक्ष रू0 14.00 लाख की अनुपूरक धनराशियां स्वीकृत हो पाने के कारण परिवहन आयुक्त कार्यालय के पत्र दिनांक 09-12-2024 द्वारा प्रेषित द्वितीय अनुपूरक बजट के प्रस्ताव में उक्त मदों में किसी भी धनराशि का बजट किन्हीं कारणोंवश अस्वीकृत होने के कारण।

चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये उक्त संक्रमण हेतु प्रत्याशित मदों में बजट की उपलब्धता अपर्याप्त होने के कारण जनसामान्य से जुड़े कार्य (ड्राइविंग लाइसेंस को डाक के माध्यम से डी0एल0 धारक के पते पर पहुंचाना) की देयता लम्बित है तथा कार्मिकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों एवं उक्त कार्यालय संचालन की मदों में चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि हेतु बजट अपर्याप्त है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्वनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

आर.ई. संख्या-बजट-1-294, दिनांक 25.01.2025

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव,
परिवहन विभाग।

ह0/-
(सिद्धार्थ श्रीवास्तव)
अपर निदेशक,
वित्त विभाग,
उ०प्र०शासन।

संख्या-05/2025/3407/तीस-3-2024, दिनॉक 31 जनवरी, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस शर्त के साथ प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
उप सचिव,
परिवहन विभाग।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।